(14)

बिहार सरकार
खेल विभाग

।। अधिसूचना ।।

पत्रांक–5/खे. वि. 8–02/2024/....1206 पटना, दिनांक– 24..3../2025

नगर/ग्राम पंचायत में खेल क्लब के पदाधिकारियों के चयन, भूमिका, दायित्व एवं निधि संबंधी मार्गदर्शिका 2025 :

खेल विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–798 दिनांक–25.06.2024 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं सभी नगर पंचायतों में खेल क्लबों के गठन की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। तत्पश्चात् खेल विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1466 दिनांक–30.09.2024 के द्वारा खेल क्लबों के गठन की संक्षिप्त मार्गदर्शिका सभी संबंधित हितधारकों को उपलब्ध करायी गयी है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतो में खेल कल्बों के गठन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक पचायत से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया है।

उद्देश्य

(i) खेल क्लब का उद्देश्य खेलों में भागीदारी को सरल एवं सर्वसुलभ बनाना। साथ ही खेलो मे उभरती हुई प्रतिभाओं की पहचान करना एवं उन्हें बढ़ावा देना तथा राज्य मे खेल सस्कृति का विकास करना।

(ii) खेल भागीदारी, प्रतिभा विकास और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खेल क्लबों के पजीकरण एवं मान्यता दिलाना।

(iii) पंजीकृत/शीघ्र पंजीकृत होने वाले क्लबों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सुविधाओं तक आसान पहुंच के लिए स्थानीय प्राधिकार के साथ समन्वय हेतु एक व्यवस्था बनाना।

(iv) खेल क्लबों के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना कि वे खेल पारिस्थितिकी तंत्र के उद्देश्यों को पूरा कर रहे है।

अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया :–

नगर एवं ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक/शिक्षक द्वारा उक्त पंचायत के खेल क्लबों के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के चयन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के द्वारा निर्धारित तिथि के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी :–

(i) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से खेल क्लबों के गठन हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों को प्राप्त करना।

CS CamScanner

(ii) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के द्वारा उक्त अध्यक्ष, सचिव एव कोषाध्यक्ष के चयन हेतु निर्धारित तिथि से सभी सबधित सदस्यो को सूचित करना।

(iii) निर्धारित तिथि पर खेल क्लबो के सदस्यो की उपस्थिति पजी तैयार कर उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन आपसी सहमति के आधार पर किया जाना। यदि आपसी सहमति नंहीं बनती है, तब मतदान कराकर अध्यक्ष, सचिव एव कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा।

(iv) उक्त चयन की प्रक्रिया की कार्यवाही बनेगी, जिसे उक्त विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनुमोदित करेंगे।

निधि की व्यवस्था :–

राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत मे गठित खेल क्लब को प्रति वर्ष समुचित/सहायता राशि खेल विभाग से अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा दिया जाएगा।

1. अध्यक्ष का दायित्व :–

1. खेल विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को उस पंचायत में लागू कराना।
2. नगर/ग्राम पंचायत के खेल क्लब के सभी सदस्यों के साथ मासिक बैठक कराना एव सचालित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराना।
3. प्राथमिकता वाले विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना।

(i) एथलेटिक्स (ii) तलवारबाजी (iii) कबड्डी (iv) साईक्लिंग (v) तीरंदाजी (vi) वॉलीबॉल (vii) रग्बी (viii) हॉकी (ix) बैडमिंटन (x) कुश्ती (xi) शूटिंग (xii) भारोत्तोलन (xiii) हैण्डबॉल (xiv) फुटबॉल (xv) टेबुल टेनिस (xvi) बॉक्सिंग (xvii) सेपकटाकरा (xviii) बास्केटबॉल (xix) वुशू एवं (xx) ताईक्वाण्डो

4. सरकार से प्राप्त सहयोग राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण कराना।
5. पंचायतों में खेल के विकास हेतु योजना तैयार करना एवं तदनुसार प्रारूप तैयार करना।

2. सचिव का दायित्व :–

1. सरकार द्वारा संचालित खेल योजनाओं को उस क्लब में शतप्रतिशत लागू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
2. नगर/ग्राम पंचायत में युवाओं हेतु खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, खेल उपस्कर की व्यवस्था कराना एवं खेलों का समय सारिणी का तैयार कराना।
3. नगर/ग्राम पंचायत में चयनित युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना एवं प्रतियोगता हेतु तैयार कराना तथा उन्हें आवश्यकतानुसार सहयोग करना।
4. नगर/ग्राम पंचायत में चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों की सूची तैयार कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराना।

CS CamScanner

5. खेल क्लब की सामग्रियों के क्रय हेतु प्रखड पचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता मे अध्यक्ष त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा क्रय किया जायेगा। जिसमें कोषाध्यक्ष सदस्य सचिव होंगे।
6. नगर/ग्राम पंचायत में गठित खेल क्लब मे लेखा सामग्री, खेल उपस्कर का क्रय एव रख–रखाव हेतु बॉक्स, अलमीरा, कार्यालय हेतु टेबुल–कुर्सी, खेल हेतु चुना, रस्सी आदि पर राशि का व्यय किया जायेगा।
7 ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव एवं खेल क्लब के कोषाध्यक्ष उक्त खाता के संचालन होगे एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एव खेल क्लब के कोषाध्यक्ष खाता के संचालन होंगे।

3. कोषाध्यक्ष का दायित्व :–

1. नगर/ग्राम पंचायत के सभी उपस्करों एवं अन्य सामग्रियो का लेखा–जोखा रखना तथा परिसंपत्ति पंजी का संधारण करना।
2. नगर/ग्राम पंचायत में खेल क्लब के बैंक खाता एवं रोकड़पंजी (कैशबुक) का संधारण तथा आवश्यक क्रय में वित्त नियमावली का अनुपालन करना।
3. नगर/ग्राम पंचायत मे क्लब हेतु आवश्यक खेल सामग्री एव प्रतिवेदन तैयार कर सचिव के माध्यम से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को समर्पित कराना।
4. विभिन्न पंजी यथा–रोकड़पजी, सामग्री पंजी, वाउचर पंजी एवं चेक लिस्ट की सूची तैयार कराना।

<u>सामान्य दिशा–निर्देश</u> :–

(i) प्रत्येक दिन सुबह एव शाम को ससमय खेल क्लब को खोला जाएगा। अध्यक्ष/सचिव द्वारा कार्यालय का संचालन का समय ऐसा हो जिससे विद्यालय का शैक्षणिक कार्य बाधित न हो।
(ii) सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा बैंक खाता खोला जाएगा।
(iii) पंचायत में प्रचलित खेल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
(iv) पंचायत के युवा महिला–पुरूष को खेल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
(v) पंचायत के सभी गाँवों में खेल क्लब का गठन होगा।
(vi) खेल मैदान का रख–रखाव करना।
(vii) प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को क्लब के पदाधिकारी अपने क्षेत्र में घुम कर अपने पंचायत के युवाओं को खेल में प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहित्त करेंगे।
(viii) खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा खेल को बढ़ावा देने वाली सभी योजनाओं से खिलाड़ियों को खेल क्लब अवगत करायेगें।

CS CamScanner

(ix) प्रत्येक दिन खेल क्लब के गतिविधियो का अपने whats app group में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के पोर्ट्ल तथा खेल विभाग, बिहार, पटना के पोर्ट्ल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) पचायत के प्रत्येक युवाओ को खेल क्लब के साथ जोड़ना लक्ष्य होगा।

(xi) समय–समय पर पंचायत के युवाओ से खेल विकास हेतु सुझाव लिया जाएगा।

(xii) उक्त के अलावा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आवश्यक सुझाव एवं दिशा–निर्देश का पालन किया जाएगा।

24/03/25
(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/खे. वि. 8–02/2024/ 1206 पटना, दिनांक– 24.3./2025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, खेल विभाग/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/ निदेशक, बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर/सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना/सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला खेल पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार/प्राचार्य, बी०पी०सिन्हा, राजकीय शा०शि०, महाविद्यालय/प्रबंधक, मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/03/25
सरकार के संयुक्त सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

CS CamScanner